

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी, 2000

क्रमांक एफ 25-8/98/पी.डब्ल्यू.सी./चार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. (1) नियम 5 के उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(4) सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात् या 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् कोई कम्प्यूटेशन अनुज्ञेय नहीं है।”

(2) नियम 10 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(1) ऐसे किसी भी पेंशनर का, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्प्यूट किया हो, उस मास के, जिसमें वह 75 वर्ष की आयु पूर्ण करता है या सेवा निवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो, आगामी मास के प्रथम दिन को उसकी पेंशन का कम्प्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित हो जावेगा।”

(3) नियम 11 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(1) कोई आवेदक, जो कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख की आगामी तारीख के पश्चात् किन्तु 70 वर्ष की आयु के पूर्व या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पूर्व जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय उसकी पेंशन का एक हिस्सा कम्प्यूट करना चाहता हो, वह कार्यालय प्रमुख को प्रारूप “क” में आवेदन करेगा।”

(4) इन नियमों से संलग्न सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी स्थापित की जाए, अर्थात्.-

“सारिणी
(नियम-8 देखियें)

एक रूपये प्रतिवर्ष पेंशन का कम्प्यूटेशन मूल्य

अगली जन्मतिथि पर आयु	वर्षों की संख्या के क्रय के रूप में कम्प्यूटेशन मूल्य
40	7.48
41	7.46
42	7.43
43	7.38
44	7.35
45	7.31

46	7.25
47	7.20
48	7.13
49	7.06
50	6.97
51	6.88
52	6.77
53	6.65
54	6.52
55	6.37
56	6.20
57	6.00
58	5.78
59	5.53
60	5.25
61	4.93
62	4.58
63	4.17
64	3.72
65	3.20
66	2.81
67	2.38
68	1.89
69	1.33
70	0.71

2. ये संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(जी.पी. सिंघल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
MADHYA PRADESH BHOPAL-462004.**

NOTIFICATION

Bhopal, Dated the 7 Febuary, 2000

No. F25-8/98/PWC/IV In exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh (Commutation Civil services of pension) Rules,1996 namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. (i) for sub-rule (4) of rule 5, the following sub rule shall be substituted, namely.-

"(4) No commutation is permissible after 15 years from the date of retirement or 70 years of age, whichever is earlier."

2. for sub rule(1) of Rule 10, the following sub rule shall be substituted, namely.-

"(1) A pensioner, who has commuted a portion of his pension, will have his commuted portion of pension restored from the first day following the month in which he attains the age of 75 years or 15 years from the date of retirement, whichever is later."

3. for sub rule (1) of Rule 11, the following sub rule shall be substituted, namely.-

"(1) An applicant who is in receipt of any pension and desires to commute a fraction of his pension of any time after the date following the date of his retirement from service but before the age of 70 years or 15 years from the date of retirement whichever is earlier, shall apply to the Head of Office in Form "A"

4 for the table appended to theses rules the following Table shall be substituted namerly.-

Table
(See rule 8)

commutation values of a pension of one rupee per annum

Age next birth day	Commutation values as numbers of year's purchase
40	7.48
41	7.46
42	7.43
43	7.38
44	7.35
45	7.31
46	7.25
47	7.20
48	7.13
49	7.06
50	6.97
51	6.88
52	6.77
53	6.65
54	6.52

55	6.37
56	6.20
57	6.00
58	5.78
59	5.53
60	5.25
61	4.93
62	4.58
63	4.17
64	3.72
65	3.20
66	2.81
67	2.38
68	1.89
69	1.33
70	0.71

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from the date of issue of this notification.

By order and in the Name of Governor of Madhya Pradesh,
Sd/-
(G.P. Singhal)
Secretary,
Government of M. P. Finance Department